<u>न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या-2 बून्दी (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी : मिनाक्षी मीणा
दांडिक पुनरीक्षण याचिका संख्या : 32/2026

अशफाक अली पुत्र समसुद्दीन,
निवासी-खेड़ली गद्दियान, बारां (राज.)

-पुनरीक्षणकर्ता

ब ना म

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, बून्दी।

-गैर पुनरीक्षणकर्ता.

<u>पुनरीक्षण याचिका विरूद्ध आदेश दिनांक 27.02.2026
द्वारा श्रीमती सोनम आर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट, तालेड़ा, जिला-बून्दी
अपराध अन्तर्गत धारा 303 (2) बी.एन.एस. व धारा 4/21 एम.एम.आर.डी.एक्ट
एफ.आई.आर. संख्या 25/2026 थाना-तालेड़ा, जिला-बून्दी</u>

उपस्थित-

(1) श्री योगेश यादव, अधिवक्ता-पुनरीक्षणकर्ता.
(2) अपर लोक अभियोजक-गैर पुनरीक्षणकर्ता.

-: आ दे श :- दिनांक: 13.03.2026

1. पुनरीक्षणकर्ता अशफाक अली की ओर से यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, तालेड़ा, जिला-बून्दी द्वारा एफ.आई.आर.सं.-25/2026 में प्रस्तुत सुपुर्दगी प्रार्थना-पत्र में पारित आदेश दिनांक 27.02.2026 के विरूद्ध दिनांक 06.03.2026 को जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी के न्यायालय में प्रस्तुत की जो विधिवत् रूप से अन्तरित होकर इस न्यायालय को दिनांक 10.03.2026 को प्राप्त हुई।

2. पुनरीक्षण-याचिका से सम्बन्धित प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपर्युक्त वर्णित आपराधिक विविध प्रकरण में प्रार्थी-पुनरीक्षणकर्ता की ओर से एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 497/503 बी.एन.एन.एस. प्रस्तुत किया गया था कि थाना तालेड़ा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 25/2026 में जब्तशुदा वाहन संख्या आर.जे.08-जी.ए.-8525 उसे सुपुर्दगी पर दिया जावे, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2026 को आदेश पारित किया गया था, जिसे अपील न्यायालय में चुनौती दी गई एवं इस पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2026 को आदेश पारित किया। जिसकी पालना में प्रार्थी-निगराकार द्वारा पुन: विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें विचारण

न्यायालय द्वारा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम विभिन्न शर्तें अधिरोपित करते हुए नवीन आदेश दिनांक 27.02.2026 को पारित किया, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी-याचिका प्रस्तुत की गई है।

3. दौराने बहस निगराकार की ओर से मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने के सम्बन्ध में विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह त्रुटिपूर्ण है। अपीलीय न्यायालय द्वारा पॉच लाख रूपये की बैंक गारन्टी की कोई शर्त अधिरोपित नहीं की गई थी, इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से बैंक गारन्टी की शर्त अधिरोपित करते हुए यह आदेश पारित किया है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में निवेदन करने के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया अपितु नाराजगी व्यक्त की, जिस बाबत् न्यायालय में इस बिन्दु पर काफी तर्क-वितर्क भी हुई, इसके बावजूद भी न्यायालय द्वारा अपने मनमाने रवैये पर अडिग रहते हुए बैंक गारन्टी के बिना वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने से इनकार कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित पॉच लाख की बैंक गारण्टी की शर्त मनमानी, अविवेकपूर्ण व विधि विरूद्ध है एवं अपीलीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। अत: विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 27.02.2026 अपास्त किया जाकर प्रार्थी/निगराकार का वाहन सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

4. गैर निगराकार अपर लोक अभियोजक द्वारा बहस में तर्क दिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उचित आदेश पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। अतः पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत याचिका निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश तथा उभय पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। इस पुनरीक्षण याचिका के निस्तारण हेतु न्यायालय के द्वारा यह देखा जाना है कि क्या विचारण न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 27.02.2026 शुद्ध, वैध एवं औचित्यपूर्ण है अथवा नहीं ?

6. पत्रावली तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यहॉ यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में पुलिस थाना तालेड़ा द्वारा दिनांक 19.02.2015 को तथाकथित वाहन ट्रेलर संख्या आर.जे.08-जी.ए.-8525 को डिटेन किया गया, जिसकी जॉच खनिज विभाग से करवाये जाने पर यह पाया कि उक्त वाहन चालक के पास 40.76 मि.टन का ट्रांजिट पास होने के बावजूद, उससे 5.02 मि.टन अधिक 45.78 मि.टन खनिज बजरी का परिवहन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार उसमें 5.02 मि.टन अवैध खनिज बजरी भरी हुई थी तथा अवैध रूप से निर्गमन करना पायी गई। जिसके सम्बन्ध में खनिज विभाग की ओर से रिपोर्ट पेश कर खनिज की कीमत 3,012/-रूपये, वाहन की कम्पाउन्ड राशि 1,00,000/-रूपये बनना पायी गई व साथ ही एन.जी.टी. राशि 4,00,000/-

भी देय बतायी गई। पूर्व में भी उक्त वाहन के सुपुर्दगी प्रार्थना-पत्र के संबंध में विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध एक निगरानी-याचिका इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई थी, जिसमें जुर्माना राशि 3012/- रूपये जमा कराये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों के आधार पर वाहन को सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश दिये गये थे। विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में शर्तें अधिरोपित करते हुए दिनांक 27.02.2026 को नवीन आदेश पारित किया, जिसमें शर्त सं.1-

" प्रार्थी प्रकरण में अधिरोपित जुर्माना/कम्पाउडिंग राशि पॉच लाख रूपये (5,00,000/-) रूपये की बैंक गारण्टी न्यायालय के संतोषप्रद पेश कर तस्दीक करवायेगा।"

से व्यथित होकर यह निगरानी-याचिका प्रस्तुत की है। उक्त आपत्ति के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश का अवलोकन करने पर यह दर्शित होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त-दिनेश बनाम राजस्थान राज्य, क्रिमीनल मिस. पिटीशन नं. 3595/2021, आदेश दिनांक 15.09.21 का हवाला देते हुए उक्त शर्त अधिरोपित करना बताया है किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में ऐसा कोई कारण उल्लेखित नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित हो कि उक्त बैंक गारण्टी की शर्त किन परिस्थितियों में किन कारणों से अधिरोपित की गई है। प्रकरण में प्रार्थी-निगराकार द्वारा जुर्माना राशि जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत कर दी है, प्रकरण में राजसात् की कार्यवाही नियमानुसार शुरू होना प्रकट नहीं है। विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त वाहन से खनिज चोरी का अन्य कोई मामला नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त सम्माननीय न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में प्रार्थी/निगराकार की निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.2026 को पारित आदेश में बैंक गारण्टी की शर्त सं. 1 को हटाते हुए जब्तशुदा वाहन को आदेश में अंकित अन्य शर्तो पर छोडा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

: आदेश :

7. अतः विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, तालेड़ा जिला-बून्दी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.2026 को आंशिक रूप से अपास्त किया जाकर प्रार्थी/निगराकार की निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.2026 में वाहन सुपुर्दगी हेतु अंकित शर्तों में से शर्त सं. 1 को निरस्त किया जाता है एवं यदि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार उक्त वाहन ट्रेलर संख्या आर.जे.08-जी.ए.-8525 के संबंध में खनिज विभाग द्वारा तय की गई खनिज की राशि 3,012/-रूपये को जमा करवाकर उसकी रसीद विचारण न्यायालय के समक्ष पेश कर देवे एवं दिनांक 27.02.2026 को पारित आदेश में शर्त सं. 1 के अतिरिक्त अन्य शर्तों की पूर्ति कर देवे तो विचारण न्यायालय प्रश्नगत वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत्

आदेश जारी करे। विचारण न्यायालय विभाग को सूचित करे कि प्रार्थी ने आपत्ति पेश कर अन्वीक्षा चाही है।

इस आदेश की एक प्रति विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(मिनाक्षी मीणा)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम-2
बून्दी (राजस्थान)

8. आदेश आज दिनांक 13 मार्च, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम-2
बून्दी (राजस्थान)